कार्यालय नगर पालिका परिषद, हाथरस
अति अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, हाथरस को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से नगर की पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु निम्न विधुत सामग्री की आवश्यकता है जिस हेतु सम्बन्धित कम्पनियों के निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं जो आयकर एवं व्यापार कर में विधुत सामग्री के थोक विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो, से सील बंद निविदाऐं दिनांक 17.11.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे से 3.00 बजे तक कार्यालय अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कलैक्ट्रेट हाथरस पर आंमत्रित की जाती हैं। एल0ई0डी0 लाइटों के निर्माता/अधिकृत विक्रेता अपनी दर शासनादेश संख्या 1383/9–9–14–84ज/14 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 19.11.14 में दिये गये निदेशानुसार एल0ई0डी0 लाइट हेतु सम्बन्धित कम्पनी द्वारा निर्गत अधिकतम मूल्य दर सूची पर देय छूट सहित प्रस्तुत करेगा तथा अधिकतम मूल्य दर सूची निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही शासनादेश संख्या 120/16/2194(1)/नौ–8–2016 दिनांक 03.09.16 में निहित प्रावधानों के अनुसार एल0ई0डी0 लाइट कम से कम 05 वर्ष की रिप्लेसमेन्ट की गांरटी/वारण्टी लिखित रूप से देनी होगी तथा एल0ई0डी0 लाईटें उच्च विशिष्टियों, वाटरप्रूफ एवं भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यरो द्वारा गुणवत्ता निर्धारण हेतु आई0एस0आई0 माड्यूल या आई0एस0आई0 मार्क की होनी चाहिए, आदि निर्देश मान्य होगें। निविदायें निर्धारित दिनांकों को ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र/बिल ऑफ क्वान्टिटी निविदा सूचना प्रकाशित होने के बाद किसी भी कार्यशील दिवस में निर्धारित मूल्य पालिका कोष/पालिका के बैक ऑफ बडौदा, शाखा चक्की बाजार, हाथरस में संचालित खाता संख्या 26870100003660 एवं कलैक्ट्रेट के नजारत अनुभाग में जमा करके क्रय की जा सकेगी। नियम व शर्तें बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार ही मान्य होगी। धरोहर राशि उसकी एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 आदि एवं आयकर एवं व्यापार कर में विधुत सामग्री के थोक विक्रेता के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र की स्वःप्रमाणित छायाप्रति भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न न होने पर डाली गई निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगीं, उक्त त्रुटि के लिये निविदादाता ही उत्तरदायी होगा और ऐसी डाली गई निविदा विचारणीय नहीं होगी। बिल ऑफ क्वान्टिटी दिनांक 16.11.2016 तक ही क्रय की जा सकेगी। नियत तिथि/समय बाद प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा पर विचार नहीं होगा। धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 आदि जोकि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, हाथरस के नाम बन्धक होगी, ही मान्य होगी। निविदादाता को स्वीकृत कार्य की नियमानुसार 10 प्रतिशत जमानत धनराशि (धरोहर धनराशि सहित) की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जमा करते हुये निर्धारित राजकीय स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा और उससे नियमानुसार आयकर, व्यापार कर आदि की कटौती होगी। स्वीकृत निविदादाता को आवश्याकतानुसार समय–समय पर कार्यादेश निर्गत कर नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुये आपूर्ति प्रदान करनी होगी। एल0ई0डी0 लाईटों की संख्या आवश्यकतानुसार कम/अधिक हो सकती है। पथ प्रकाश सामग्री से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में स्टोर अनुभाग से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा सूचना जिले की वेबसाइड www.hathras.nic.in पर भी देखी जा सकती है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा बिना कारण बतायें अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं में निहित होगा।

विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा का मूल्य (बेट अतिरिक्त)
1	35 वाट एल0ई0डी0 लाईटों (आईएसआई मॉड्यूल या आईएसआई मार्क) की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में।	200 नग	5501000.00	110000.00	5500.00

(बालकृष्ण कम्हेरिया)
अधिशासी अधिकारी

(डौली माहौर)
अध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्या :– 753/प्र0अनु0/2016–17 दिनॉंक :– 04.11.2016

प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक अमर उजाला व हिन्दुस्तान को इस आशय से एक दिन प्रकाशित करने हेतु कि अनावश्यक स्थान न धेरा जाये और दरें सरकारी लगाई जाये। बिल जिला सूचना अधिकारी से रेट सत्यापित कराके ही प्रस्तुत किया जाये।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ मण्डल, अलीगढ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, कलैक्ट्रेट हाथरस की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हाथरस को सूचना जिले की वेबसाइड पर प्रस्तुत करने हेतु।
6. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. नाजिर सदर, नजारत अनुभाग, कलैक्ट्रेट हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रिकॉर्ड कीपर/खजांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, हाथरस।